न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 2019/93

1. बद्रीनारायण पुत्र लादूराम, जाति गुर्जर, निवासी प्लाट नंबर 120, गुर्जरों की ढाणी, ग्राम झुण्ड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. राजेश कुमार माहुर पुत्र श्री राधेश्याम माहुर, निवासी प्लाट नंर सी–42, विजय विहार कॉलोनी, नया खेडा, जयपुर।
2. श्रीमती सीमा जायसवाल धर्म पत्नी सुरेश कुमार जयसवाल, निवासी प्लाट नंबर 65, शंकर कॉलोनी, नया खेडा, जयपुर।
3. नीतू जायसवाल धर्म पत्नी नरेश जायसवाल, निवासी प्लाट नंबर सी–42, विजय विहार कॉलोनी, नया खेडा, जयपुर।
4. श्रीमती करिश्मा जायसवाल धर्म पत्नी मुकेश कुमार जायसवाल, निवासी प्लाट नंबर 65, शंकर कॉलोनी, नया खेडा, जयपुर।
5. श्रीमती निधि भार्गव पत्नी श्री ऋषि भार्गव, जाति ब्राहमण, निवासी प्लाट नंबर 517, विद्युत नगर–ए, अजमेर रोड जयपुर।
6. श्रीमती सुभद्रा श्रीवास्तव पत्नी श्री रणजीत सिंह जेचुण्डेवाल, जाति कायस्त, निवासी प्लाट नंबर 43 भैरव नगर–ए, झोटवाडा रोड जयपुर।
7. योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री किशन चन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी 246, महात्मा गांधी नगर, डी.सी.एम. अजमेर रोड, जयपुर।
8. अशोक कुमार जाखड पुत्र श्री मोहन सिंह जाखड, जाति जाट, निवासी ग्राम पोस्ट साखू बाबा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
9. देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री किशन चन्द शर्मा, निवासी 246, महात्मा गांधी नगर, डी. सी.एम. जयपुर।
10. श्रीमती निर्मला भार्गव पत्नी श्री डी.एन.भार्गव, निवासी प्लाट नं. 517, विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
11. उषा कोठ्यारी पुत्री एस.के. रा[illegible]ति जैन निवासी [illegible] एम.बी. नगर, डी.सी. एम. अजमेर रोड, जयपुर।
12. भूरी देवी पत्नी श्री जगदीश शर्मा, निवासी ग्राम लदाणा, तहसील फागी जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

13. रमेश चन्द गौड पुत्र श्री टी.आर.गौड, निवासी प्लाट नं. 4, गणेश विहार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर।

14. तहसीलदार तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

15. उपपंजियक बगरू, उपतहसील बगरू, जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण —

वाद पत्र बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय — दिनांक : 24.12.2020

वादी की ओर से प्रस्तुत राजस्व वाद का संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 सहखातेदार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 की संयुक्त आराजी कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 192 के खसर नंबर 236 रकबा 0.99 हैक्टेयर वाकै ग्राम रामपुराऊंती तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1500/9900 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 785/9900, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का हिस्सा 863/9900, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 786/9900, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 802/9900, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 812/9900, प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 888/9900, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 790/9900, प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1243/9900, प्रतिवादी संख्या 11 का हिस्सा 1181/9900, प्रतिवादी संख्या 12 का हिस्सा 150/9900, प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्स 100/9900 राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है तथा अपने अपने हिस्से पर मनबट के अनुसार काबिज काश्त है। उक्त कृषि भूमि का आदिनांक तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 से कई बार उक्त आराजीयात का विधिवत बटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आये दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर विधिवत बंटवारा करने से इन्कार करते रहते है। दिनांक 20.04.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 कुछ दिगर व्यक्तियों को लेकर वादी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर आये जबरन तारबंदी का प्रयास करने लगे तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 से कहा कि पहले उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा करवा लो उसके बाद अपने हिस्से की भूमि पर तारबन्द करवा लेना। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 नहीं माने तथा कहा कि हम तो जबरन तुम्हारे हिस्से की भूमि पर तारबंदी करके रहेगें तथा पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगें एवं वादी को सडक वाली जमीन से ना तो निकास के लिए रास्ता देगें एवं ना ही उपयोग उपभोग के लिए कोई हिस्सा देगें तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

विधिवत बंटवारा करने से भी इन्कार कर दिया। इस कारण वादी को यह वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञ पेश करना लाजिम हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 192 के खसर नंबर 236 रकबा 0.99 हैक्टेयर वाकै ग्राम रामपुराऊंती तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1500/9900 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 785/9900, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का हिस्सा 863/9900, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 786/9900, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 802/9900, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 812/9900, प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 888/9900, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 790/9900, प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1243/9900, प्रतिवादी संख्या 11 का हिस्सा 1181/9900, प्रतिवादी संख्या 12 का हिस्सा 150/9900, प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्स 100/9900 का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा कर उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि जब तक वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही हो जाता है तब तक वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात के विशेष भू–भाग पर जबरन तारबन्द करने एवं आराजीयात के किसी भी भू–भाग पर पुख्ता निर्माण नहीं करे, विक्रय, रहन, इकरारनामा इत्यादि दिगर व्यक्ति के हक में नही करे तथा वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 14 को राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रतिवादी संख्या 15 को उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र, इकरारनामा, रहन नामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से तस्दीक न किये जाने बाबत् पाबन्द फरमाया जावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ हाल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिटस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 9 व 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई। लेकिन एक माह गुजर जाने के उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 1 से 6, 8, 10, 11, 13 से 15 उपस्थित नही होने पर तामील की प्रज्ज्मसन् मानते हुए उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या 7 व 9 ने विचाराधीन वाद में मीट्स एण्ड बाण्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। दावा के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070–73 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवम् प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है। इसलिए वाद में बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाना न्यायोचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि हाल खाता संख्या 192 के खसरा नंबर 236 रकबा 0.99 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुराऊंती पटवार हल्का रामपुराऊंती भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर मुर्तजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवावें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल – I (आर.ए.एस.)**

ब्रदीनारायण बनाम **राजेश वगै.**

वाद पत्र बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – 2019/93

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल – I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि हाल खाता संख्या 192 के खसर नंबर 236 रकबा 0.99 हैक्टेयर वाकै ग्राम रामपुराऊंती पटवार हल्का रामपुराऊंती भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....
... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.12.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत **सहायक कलक्टर**

ओहदा **जयपुर शहर द्वितीय**

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:19:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner